न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मुजफ्फरनगर।

सरकार बनाम राजन उर्फ राजन राणा
मु.अ.सं.–261 सन् 2025
धारा–109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना– छपार, जिला–मुजफ्फरनगर

आदेश

दिनांक–14.07.2026

प्रार्थी राजन उर्फ राजन राणा पुत्र सौराज राणा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वाहन कार स्विफट पंजीयन सं.–DL 01 CAD 4171 जोकि मु0अ0सं0–261/2025 धारा–109(1) बी.एन.एस. एवं धारा–3/5/27 आयुध अधिनियम थाना छपार में निरूद्ध है, को स्वयं के पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है जो थाना हाजा पर उपरोक्त केस में खड़ी हुई है जिसके वहां खडे रहने से खराब होने का अन्देशा है। न्यायहित में उपरोक्त वाहन प्रार्थी के हक में रिलीज की जानी आवश्यक है। न्यायालय जब भी उक्त वाहन को तलब करेगी प्रार्थी उसे न्यायालय में पेश करेगा तथा उसे खुर्द बुर्द नहीं करेगा। अतः प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वाहन को उसके हक में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समर्थन में पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इंश्योरेंस, डी0एल0 की प्रति एवं शपथपत्र दाखिल किया है। पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इंश्यौरैंस, डी0एल0 न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

मैने उभयपक्षों को सुना तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन पंजीयान सं.– DL 01 CAD 4171, मु0अ0सं0–261/2025 धारा–109(1) बी.एन.एस. एवं धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम में थाना छपार पर दाखिल है।

प्रपत्रों/पंजीयन प्रमाणपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त राजन उर्फ राजन राणा पुत्र सौराज राणा द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में कथन किया गया है कि उक्त वाहन जिसका पंजीयान सं.–DL 01 CAD 4171 का प्रार्थी राजन उर्फ राजन राणा पंजीकृत स्वामी है। थाने पर खडे रहने पर वाहन जिसका पंजीयान सं.– DL 01 CAD 4171 के खराब होने की संभावना है। इस स्तर पर अन्य कोई दावेदार भी नहीं है। थाना विवेचक द्वारा प्रस्तुत आख्या द्वारा वाहन के संबंध में किसी विवेचना का प्रचलित होने का कथन नहीं किया गया है। अतः विधि व्यवस्था **सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003 (1) जे0आई0सी0** में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रश्नगत वाहन जिसका पंजीयान सं.– DL 01 CAD 4171 निम्न शर्तो पर प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने योग्य है।

01– आवेदक द्वारा मु0 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र मय अन्डरटेकिंग एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत किया जाये।

02– दौरान विचारण आवेदक द्वारा प्रश्नगत वाहन जिसका पंजीयान सं.–DL 01 CAD 4171 का विक्रय नहीं किया जायेगा, न आकार प्रकार में परिवर्तन किया जायेगा और न ही उसके रूप में छेडछाड की जायेगी।

03– सम्बन्धित थाने के भार साधक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाहन जिसका पंजीयान सं.–DL 01 CAD 4171 का चेसिस व इंजन नंबर का मिलान करने के उपरान्त आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत वाहन रिलीज करे।

तद्नुसार सम्बन्धित थाने के भार साधक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वाहन जिसका पंजीयान सं.–DL 01 CAD 4171 किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे आवेदक के पक्ष में अविलम्ब अवमुक्त करे।

(अनुराग पंवार)
विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधनियम मुजफ्फरनगर।